

सेवा में,

श्रीमान् सुश्रु सूचना अधिकारी, ^{राज्य} ^{सूचना} ^{विभाग} ^{के} ^{मुख्यालय} ^{में} ^{नई} ^{दिल्ली} ^(एन)
रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली (रेल भवन) ^{21/08/15}

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत सूचना उपलब्ध बनाने हेतु।

सहायता

श्री एक लोडो पाथलाट होने के कारण श्रीमान् के माध्यम से रेलवे का संरक्षित परिचालन के सर्वेक्षण लिम्ब सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ यह :- 1. ECR में लोडो रनिंग स्टॉक से औसत 10 धंटे से अधिक प्रतिमाह 16% से अधिक बाध्य लिमिटे जाने के कारण रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के Exec. Director (M) मदीय द्वारा पत्रांक - DO No. - 2012 E (LL)/MER/35 दि० - 08/05/2013 के तहत जारी निर्देश के तहत Long Hops Duty कम करने हेतु क्या प्रयास/कर्म उद्योग जा रहे हैं।

2. कोई LP/ALP 10 धंटे Duty के उपरांत उक्त पत्र तथा SPAD Minuties के निर्देश पत्रांक - 2004/M(L)/466/1101 दि० - 14/06/12 के मद सं० - C-18 डा हवाला देकर यदि रिलिफ की मांग करता हूँ और ठाणे अधिक duty करने से इन्कार करता हूँ तो इसे रेल सेवक आचारण नियम 1986 का उल्लंघन मानकर दण्डित किया जाना न्यायोचित है या अनुचित है।

3. SPAD Minuties पत्रांक - 2004/M(L)/466/1101 दि० - 14/06/12 में उल्लिखित मद सं० - C-3 के प्रावधान का हवाला देकर कोई LP/ALP किसी खण्ड में एक माह से अधिक समय तक जारी कार्य नहीं करने के कारण 01 Tmp/दिन तथा रात्रि का LR (रोड लम्बिता) की मांग कर सकता है या नहीं।

4. वर्ष - 2015 में माह जनवरी में अगस्त तक का ECR पर रेलवे बोर्ड के निर्देशित मानक फारमेट के अनुसार लोडो रनिंग स्टॉक से 10 धंटे तक की औसत Duty का प्रतिशत तथा 10 धंटे से 12 धंटे तथा 12 धंटे से अधिक duty का प्रतिशत की जानकारी देने का उल्ट करे।
आर: उक्त सूचना भेरे निम्न पत्र पर समय - सीमा के भीतर प्रेषित करने की इजाजत है।

शुक्र - 10 रु० का IPO
No 29F 853588 (5/9/15)

आपका विश्वासी
A-K Raout
LP (M) E.C. Rly, पाथरडीह
लोडो बजार डौलौनी 9, No. - A/F
P.O. - पाथरडीह, जिला - धनबाद
राज्य - झारखण्ड, PIN - 828119
DT - 20/09/15